All India Muslim Personal Law Board's Reaction on Recitation of Saraswati Vandana and Vande Mataram in Schools

2251. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that U.P. Government had issued any order for compulsory recitation of "Saraswati Vandana" and "Vande Mataram" in Government schools in Uttar Pradesh; if so, the details thereof;

(b) whether the All India Muslim Personal Law Board has asked muslims to withdraw their children from Government schools where recitation of Vande Mataram and Saraswati Vandana has been made compulsory by the U.P. Government; and

(c) whether Central Government have taken any action against the U.P. Government for issuing such order which violates Article 28 of the Constitution of India; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) The Department of Education of the Government of Uttar Pradesh has issued a Govt. order dated 17.4.97 under which time table for the Primary and upper Primary schools were prescribed for inculcating moral education for character building among the boys and girls studying in these Schools. The time table inter-alia included "Ish Vandana" at the beginning of the school followed by activities like physical exercise, yoga etc. and finally recitation of National Anthem before dispersal to class rooms.

Will a view to bring in further qualitative improvement in the elementary education in the State, the Department of Education, Government of Uttar Pradesh, issued certain instructions on 25.7.98 for introduction of "Kalpa Yojana" which inter-alia included recitation of "Vande Mataram and Vandana infront of the portrait of Goddess Saraswati". The State Government has subsequently withdrawn the orders issued in this regard.

(b) No such information has been received in this Ministry from All India Muslim Personal Law Board.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में नियुक्त किये गये नये शिक्षक

2252. **श्री डी॰पी॰ यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में कुल कितने नये शिक्षकों की नियुक्ति की गई; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थानान्तरण से संबंधित आवेदनों पर अपनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय विद्यालयों में 2406 शिक्षक और नवोदय विद्यालयों में 1170 शिक्षक 1997-98 के दौरान नियुक्त किये गये थे।

(ख) शासी बोर्ड द्वारा 21.07.1998 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित स्थानान्तरण दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानान्तरण किये जाते हैं जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

शासी बोर्ड द्वारा 21.7.98 को आयोजित उसकी 63वीं बैठक में यथा अनुमोदित स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देश

1. सामान्य नीति यह होगी कि शिक्षकों को जिसमें उप-प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, बार-बार स्थानान्तरित न किया जाए। केवल संगठनात्मक कारणों से अथवा अनुरोध पर या चिकित्सा पर अथवा इन दिशा-निर्देशों में की गई व्यवस्था के अनुसार ही सामान्य स्थानान्तरण किये जाएंगे।

2. साधारणतः ऐसी कोई निर्धारित समयावधि नहीं होगी जिसके बाद किसी शिक्षक/उप-प्रधानाचार्य को स्थानांतरित करना आवश्यक हो। परन्तु साधारणतः किसी केन्द्र पर रहने की अधिकतम अवधि प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों के मामलों में 5 वर्ष

और सहायक आयुक्तों के मामले में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. साधारणतः पदोन्नति पर तैनातियों, स्थानान्तरणों आदि के लिए निम्नलिखित क्रम अपनाया जाएगाः—

1. पदोन्नति पर तैनाती
2. अंतर क्षेत्रीय स्थानान्तरण
3. अन्तरक्षेत्रीय स्थानान्तरण
4. सीधी भर्तियों की तैनाती।

4. जहां तक संभव हो वार्षिक स्थानान्तरण ग्रीष्मावकाश के दौरान किये जाएं किन्तु निम्नलिखित आधार पर स्थानान्तरणों को छोड़कर और किसी प्रकार के स्थानान्तरण 31 अक्तूबर के बाद नहीं किये जाएंगेः—

1. प्रशासनिक आधार पर, और
2. गंभीर चिकित्सा बीमारी के आधार पर स्थानान्तरण जिसमें पति/पत्नी की मृत्यु भी आती है।

5. दिशा-निर्देश के खण्ड-3 को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किये जाएंगे।

6. रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं का पालन करके स्थानान्तरण प्रभावित होंगेः—

(क) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण [उपर्युक्त पैरा 4 (1) के अनुसार]

(ख) अनुरोध पर स्थानान्तरणः

(1) गंभीर बीमारी के कारणों से स्थानान्तरण जो आयुक्त, के०वि०सं० द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार उनके संतुष्ट होने पर इस प्रकार का स्थानान्तरण मौजूदा तैनाती के स्थान से दूर इलाज कराने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(2) तीन वर्ष की सेवा की अवधि पूरी होने पर कठिन केन्द्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (पी०जी०टी० तथा इससे ऊपर) से स्थानान्तरण।

(3) पति-पत्नी के मामले बशर्ते उस स्थान पर जहां से स्थानान्तरण मांगा गया है शिक्षक द्वारा कार्यभार संभाल लेने के बाद उनमें से किसी का स्थानान्तरण हो गया हो और इस प्रकार वह केन्द्रीय विद्यालय में कार्य कर रहा हो।

(4) तैनाती केन्द्र पर एक वर्ष पूरा करने के बाद अविवाहित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं/विधवाओं का उनकी सुविधा के स्थान पर स्थानान्तरण।

(5) शारीरिक रूप से विकलांग का स्थानान्तरण बशर्ते वह विकलांगही, उसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवावधि के दौरान हुई हो

(6) साधारण मामले।

(7) पारस्परिक स्थानान्तरण बशर्ते दोनों केन्द्रों के लिए उससे अधिक प्राथमिकता वाला कोई अन्य दावेदार न हो।

7. साधारणतया स्थानान्तरण के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जब तक कि किसी शिक्षक ने उपर्युक्त (6)(1)(3)(4)(5) तथा (7) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर तीन शैक्षिक सत्र पूरे न कर लिये हों।

8. किसी संवर्ग में रिक्तियों के न होने की स्थिति में उन शिक्षकों का जो किसी केन्द्र पर पांच वर्ष से कम न रहे हों, (क) पति/पत्नी की मृत्यु के कारण (ख) हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग अथवा लकवे के आक्रमण के कारण बशर्ते वे आयुक्त की संतुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें (ग) जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्वोत्तर में तथा सूची बद्ध कठिन केन्द्रों पर पूरा किया हो, और (घ) 6(क), 6(ख)(3) तथा 6(ख)(5) के अंतर्गत आते हों, स्थानान्तरण किया जा सकता है।

9. सामान्यतया पीआरटी, टीजीटी तथा समान वेतनमानों में अन्य कोटियों के शिक्षकों को उस क्षेत्र से बाहर, जहां उनका चयन किया गया है, तैनात नहीं किया जाएगा।

10. नियुक्ति के समय सभी श्रेणियों के शिक्षकों को जहां तक संभव हो, दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों में तैनात किया जाएगा।

11. रिक्ति उपलब्ध होने पर पदोन्नति पर अथवा सीधी भर्ती पर प्रधानाचार्यों शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों को उस राज्य को छोड़कर, जहां उनकी तैनाती हुई हो अथवा वे वहां के निवासी हों जैसा भी मामला हो, किसी अन्य राज्य में तैनात किया जाएगा। साधारणतः किसी केन्द्र पर प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों तथा सहायक आयुक्तों की नियुक्ति अवधि क्रमशः 5 वर्ष तथा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12 उन प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों जिन्हें सेवानिवृत्त होने में तीन वर्ष अथवा इससे कम है, को यदि वे पहले ही गृह राज्य में काम कर रहे

हों, रिक्ति होने पर पदोन्नति / सीधी भर्ती पर बाहर तैनात नहीं किया जाएगा।

13. किसी शिक्षक की पदोन्नति होने पर उसे अनिवार्य रूप से जहां तक संभव हो, ऐसे पृथक क्षेत्र में, जो पड़ौसी क्षेत्र होना चाहिए, तैनात किया जाना चाहिए। अध्यापिकाओं के मामले में क्षेत्र में अनिवार्यतः परिवर्तन न किया जाए परन्तु उनका तैनाती स्थान कम से कम कोई एक या दो जिले दूर होना चाहिए।

14. कोई भी आधार क्यों न हो अनुरोध पर स्थानान्तरण के लिए किसी प्रकार का स्थानान्तण यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा जब तक कि शिक्षक ने अपने मौजूदा तैनाती स्थान में 5 वर्ष पूरे न कर लिये हों (अनुरोध पर स्थानान्तरण के लिए 5 वर्ष तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कठिन केन्द्रों के लिए 3 वर्ष बढ़े)

15. प्रशासनिक आधार पर किसी शिक्षक के मुख्यालय को उचित समझे जाने वाले क्षेत्र के अंदर किसी स्थान पर परिवर्तित करने और उसे वहां कार्य करने का निदेश देने के लिए सहायक आयुक्त सक्षम होगा। सहायक आयुक्त मामले की रिपोर्ट पूर्ण तथ्यों के साथ पुष्टि अथवा निर्देशों के लिए आयुक्त को देगे जैसा भी आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाए।

16. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में किसी प्रावधान के बावजूद आयुक्त जैसा भी वह संगठन के हित में आवश्यक समझे दिशा-निर्देशों से अलग हटकर निर्देश देने हेतु सक्षम होगा।

MOU between CIEFL and Foreign Universities

2253. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Institute of English and Foreign Languages (CIEFL), a deemed university under the Ministry, has recently signed a Memorandum of Understanding with some foreign universities to provide specially designed training packages in professional English for their teachers;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any negotiations are underway with some other countries also for similar training packages; and

(d) if so, the details thereof and the financial earnings likely to accrue to the country therefrom?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) Yes, Sir. The Central Institute of English and Foreign Languages (CIEFL) has recently entered into Memorandum of Understanding (MoU) with the following universities to provide specially designed training packages in professional English for their teachers:

1. The University of Aden, Yemen Republic

2. International University of Kyrghystan

3. Chui University of the Kyrghyz Republic

4. Arabeey Kyarghyz State Pedagogical University

(c) and (d) Negotiations are underway with the Republic of Maldives and the Bishkek Humanities University, Kyrghyz Republic. The CIEFL has charged a comprehensive fee of US Dollars 8400.00 from a group of 12 students who joined the Institute in pursuance of the MoU signed with the Universities in Kyrghystan. Such programmes are on self-financing basis for participants from abroad and the Institute has considerable potential of earnings in foreign exchange. At this stage, it is not possible to project the exact financial earnings.

Universalisation of Elementary Education

2254. SHRI GOVINDRAO ADIK Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-report appearing in the Times of India dated 28th September, 1998 under the caption "India may lag in